नवभारत (भोपाल संस्करण) दिनांक - 30.07.2017 नवभारत

228 करोड़ खर्च के बाद भी अधर में ई-पंचायत

सरपंच-रोजगार सहायक के घर पहुंच गई सार्वजनिक उपयोग की सामग्री

भोपाल, 29 जुलाई. प्रदेश की 72 प्रतिशत आबादी को प्रौद्योगिकी के द्वारा दुनिया से जोड़ने का सरकारी सपना पूरा नहीं हो पा रहा है.

इसके पीछे भले ही मौजूदा व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया जाये, लेकिन हकीकत यही है कि सार्वजनिक उपयोग के लिये लगभग 228 करोड़ रुपये की कीमत के कम्प्यूटर सहित अन्य उपकरण पंचायत के बजाय सरपंच व रोजगार सहायकों के घर में मिल रहे हैं. यह खुलासा किसी और का

कैग ने किया खुलासा

नहीं बल्कि राज्य सरकार के कार्यालय महालेखाकार सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र म.प्र. ग्वालियर का है.

भारत के महालेखाकार (सीएजी) के मार्फत जारी इस रिपोर्ट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित ई-पंचायत योजना पर न केवल सवाल खड़े किये हैं, बल्कि यह भी बताया है कि अब तक 228.25 करोड़ राशि खर्च किये जाने के बाद भी यह पंचायतें ग्रामीणों के लिये एक सार्वजनिक सेवा केंद्र क्यों नहीं बन पा रही है. यहां बता दें राज्य में मौजूद 22 हजार 825 ग्राम पंचायतों को सरकार ने

न बजट बनते न आदर्श पंचायत पद्धति से लेखांकन

ग्राम पंचायतों की मनमानी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि न तो वह ग्रामों का बजट तैयार करते हैं और न ही यह आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति को अमल में ला रहे हैं. जबकि इसे राज्य सरकार वर्ष 2010 से लागू कर चुकी है. नमूनों के लिये चिन्हित 1020 ग्राम पंचायतों में 253 के हालात यही मिले, जिन्होंने विकास के मद्देनजर बजट बनाना भी उचित नहीं समझा है. जबकि यह ग्राम स्वराज अधि. 1993 की धारा 73 के प्रावधानों के विपरीत है.

कम्प्यूटर उपकरण तथा एलईडी आदि खरीदने के लिये 1-1 लाख रुपये मुहैया कराये थे. उद्देश्य था ग्रामीणों को प्रौद्योगिकी से जोड़कर सुविधा केंद्रों के रूप में विकसित करना. लेकिन बीते 5 वर्षों में भी यह अस्तित्व में नहीं आ पाई. ऐसा नहीं है कि इस राशि का उपयोग पंचायतों ने नहीं किया है. बावजूद इसके ऐसे प्रयास नहीं किये गये, जिससे इसका लाभ ग्रामीण आबादी को मिल सके. क्योंकि कई पंचायतों में जहां बिजली नहीं, वहीं कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं. कहीं सामान चोरी चला गया तो कहीं पर यह उपकरण पंचायत के बजाय सरपंच व रोजगार सहायकों के घरों में पाये गये हैं.

एक नजर में सांख्यिकी

जिले-	51
जिला पंचायत-	51
जनपद-	313
ग्राम पंचायत-	22825
कुल जनसंख्या-	7.26 करोड़
ग्रामीण आबादी-	5.26 करोड़

सच ऐसे आया सामने

कैग ने प्रदेश के 24 जिलों 88 जनपदों के 1020 ग्राम पंचायतों का नमूना परीक्षण किया. इसमें अनूपपुर व देवास जिले की 100 ग्राम पंचायतें शामिल हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें से 60 ग्राम पंचायतों में विद्युत कनेक्शन नहीं पाये गये. जबकि 22 ग्राम पंचायतों में नेट कनेक्टिविटी ही नहीं पाई गई. इतना ही 11 ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटर सहित अन्य उपकरण पंचायत के कर्ताधर्ताओं के यहां होने पाये गये. जबकि 7 जनपदों की 43 ग्राम पंचायतों की कहनी इससे अलहदा है. क्योंकि यहां से यह सामान चोरी चले गये. इनकी अनुमानित कीमत 23.59 लाख बताई गई है.

Scanned by CamScanner

आचरण epaperaacharan.com

ग्वालियर, बुधवार 26 जुलाई 2017

3 गुना हुआ अनुदान फिर भी करोड़ों खर्च नहीं कर पाए निकाय

भोपाल। प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में पिछले पांच सालों में अनुदान तीन गुना बढ़ गया पर ये संस्थाएं अपनी राशि खर्च करने में असफल रहीं। हालत यह रही कि छह से तीस प्रतिशत की राशि खर्च करने का इन संस्थाओं के पास कोई प्लान ही नहीं था। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में इस पर गहरी आपित्त जताई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बजट के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का आवंटन वर्ष 2011-12 के दौरान 7 हजार 911 करोड़ 12 लाख था। पांच सालों के दौरान यह आवंटन बढ़कर 21 हजार 155 करोड़ 33 लाख हो गया। इसके बाद भी पंचायती राज संस्थाएं आवंटित राशि को खर्च नहीं कर पाईं। पांच सालों में इन संस्थाओं में छह से लेकर तीस फीसदी राशि ऐसी रही जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। कैग ने कहा है कि इसी तरह स्थानीय निकायों को वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदान 4 हजार 356 करोड़ मिलता था। 2016 तक यह अनुदान बढ़कर 9 हजार 262 करोड़ 96 लाख हो गया पर ये निकाय भी सरकार से मिली राशि का पूरा उपयोग विकास कार्यों में नहीं कर पाए। नगरीय निकायों में भी आठ से 22 प्रतिशत राशि खर्च ही नहीं हो पाई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में नगरपालिकाओं के सम्पत्तिकर के लिए गठित सम्पत्ति कर बोर्ड को भी अमला न होने के कारण निष्प्रभावी बताया है। कैग ने कहा है कि अमले की कमी के कारण सम्पत्तिकर, समेकित कर और जलप्रदाय कर की करीब 550 करोड़ की राशि वसूल नहीं हो पाई। कैग ने राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को जारी की जाने वाली राशि की प्रथम किस्त देर से जारी करने पर भी आपत्ति लेते हुए कहा है कि 14 वें वित्त आयोग के मूल अनुदान का मूल अनुदान 1 हजार 463 करोड़ सरकार को दो किस्तों में मिले। पहली किस्तों में मिले। पहली किस्त जुलाई जुलाई में और दूसरी किस्त फरवरी में मिली पर सरकार ने पंचायतों को पहली किस्त विलंब से जारी की। इसके फलस्वरूप 5 करोड़ 17 लाख रूपए ब्याज के रूप में भरने के लिए स्वीकृत करना पड़े। यह राशि किस्त के साथ जारी नहीं की गई थी।

नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी १९३४ से
ग्वालियर | बुधवार | 26 जुलाई, 2017 | वर्ष 22 | अंक 174 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 2.50 | www.navabharat.net

नगरीय निकायों ने वसूली छोड़ जमा राशि को किया खर्च

विधानसभा में रखी गई कैग की रिपोर्ट में खुलासा, करोड़ों के राजस्व का नुकसान

अनिल शर्मा

ग्वालियर, 25 जुलाई. देश के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश की स्थानीय निकायों में अपना पैसा वसूल करने पर जोर देने के बजाये जमा राशि को खर्च किया गया. इतना ही नहीं कई कार्यों को मंजूरी के बाद अधर में छोड़ा गया और शासन से मिले पैसे को भी खाते तक में जमा नहीं कराया.

कैग की रिपोर्ट में मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक प्रदेश की स्थानीय निकायों में किये गये कार्यों का उल्लेख है इसमें मालूम चला है कि विधानसभा चुनाव विकास योजना में मिली राशि 35.29 लाख को शासकीय खाते में जमा नहीं कराया गया और जब इसकी जांच की तो 24 लाख मुश्किल से जमा हुये. इसके साथ-साथ नगर निगम रीवा में कॉलोनाइजरों से 36.37 लाख आश्रय शुल्क वसूल (शेष पृष्ठ 4 पर)

शासन को नहीं मिले 18 करोड़

नगर पालिकाओं द्वारा शासकीय खाते में नगरीय विकास उपकर का राज्यांश जमा न कराये जाने से शासन को 18 .60 करोड़ का नुकसान हुआ. इसी तरह वेटकर, रायल्टी व अन्य स्रोत के 7 .66 करोड़ शासन के खाते में जमा नहीं कराये गये. कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2012 एवं जनवरी 2014 में जिला पंचायतों ने 6 .25 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया लेकिन लघु उद्योग निगम ने ई-पंचायत कक्षों का स्थानांतरण नहीं किया.

प्रथम पृष्ठ का शेष...

नगरीय निकायों ने वसूली छोड़ ...

नहीं किया गया. इसी तरह उज्जैन और बदनावर धार में 1 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि वसूल नहीं की गयी जिससे शासन को नुकसान हुआ.

इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिकाओं द्वारा राजस्व में वृद्धि नहीं की गयी जबकि खर्चे बढ़े. इतना ही नहीं सम्पत्ति बोर्ड की स्थापना मात्र औपचारिकता रही क्योंकि बोर्ड में जनशक्ति की कमी के चलते सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया. मार्च 2016 की स्थिति में नगर पालिकाओं में सम्पत्तिकर की बकाया वसूली 145.38 करोड़, समेकित कर 142.69 करोड़ और जलकर 243.65 करोड़ था जिसे वसूल किया जाना था लेकिन कर्मचारियों की कमी से वसूली प्रभावित रही.

प्रदेश में फायर कर्मचारियों की कमी : कैग की रिपोर्ट में नगरीय निकायों में अग्निशमन कर्मचारियों की कमी का मामला सामने आया है. प्रदेश में 2011 से 2016 के दौरान अग्नि कर्मचारी के स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं की गयी और दमकल दस्ते के लिये पदस्थ 285 कर्मियों में से 94 नियमित थे, शेष 191 कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे थे. इसके साथ-साथ आगजनी को रोकने के लिये उपकरणों के निरीक्षण के साथ-साथ जागरुकता को लेकर कमी दिखाई दी.

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस भोपाल, बुधवार 26 जुलाई 2017 3

अग्निशमन कर्मचारियों की भारी कमी

वर्ष 2011 से स्वीकृत पदों पर नहीं हुई नियुक्तियां

ग्वालियर। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्थानीय निकाय पर प्रतिवेदन में खुलासा किया है कि राज्य सरकार द्वारा अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा प्रबंधन के लिए कोई भी योजना तैयार नहीं की, और तो और राष्ट्री आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशा निर्देश 2012 के तहत एक वर्ष के भीतर अग्नि अधिनियम का अधिनियमन किया जाना था वह भी नहीं किया गया। अग्निशमन कर्मियों की भारी कमी होने पर भी वर्ष 2011 से स्वीकृत पदों पर कोई नियुक्तियां नहीं की गई।

उल्लेखनीय है कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अग्निशमन सेवाओं में कुछ भी ध्यान दिए बगैर नेशनल बिल्डिंग कांड के मापदंडों का उल्लंघन किया गया। इसी का परिणाम यह है कि हर शहर में कई भवन ऐसे बन गए हैं जहां दमकल वाहन पहुंचना भी मुश्किल है। वर्ष 2011-12 से अब तक नगरीय स्थानीय निकायों में अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा प्रबंधन के लिए कोई व्यापक योजना तैयार नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप कई अग्निशमन केन्द्रों में दमकल सेवाएं सुदृढ़ नहीं हो सकीं। अनिवार्य उपकरण और मानव शक्ति पर भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। शहरों की सीमा बढ़ाने के बावजूद और बड़ी-बड़ी ऊंची इमरातों का निर्माण कराने के बावजूद एनबीसी (नेशनल बिल्डिंग कोड) के मापदंडों के अनुपालन नहीं किया गया।

इसके अलावा यह जानने के बावजूद कि कर्मचारियों की भारी कमी है। अधिकांशतः फायर ब्रिगेड मुख्यालयों पर भी केवल 33 प्रतिशत अग्निकर्मचारी रह गए हैं। लेकिन नगरीय निकायों ने अग्निशमन कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की, और न शेष कर्मचारियों को कोई प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम की शिक्षा दिलवाई। इससे बड़ा मामला तो यह है कि अग्नि की रोकथाम हेतु भी जन जागरूकता कार्यक्रम नहीं किए जाते। यह ढर्रा वर्ष 2017-18 में भी जारी रखा। जब घटनाओं पर प्रकाश डाला गया तो प्रति वर्ष आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं। जिसमें कई हादसे भी गंभीर हो गए हैं और उन घटनाओं से सबक लेना कोई नहीं चाहता है।

यह हैं नियम

अग्निशमन केन्द्रों की सेवाओं का संचलन करने के लिए जिला मुख्यालय, विकास मुख्यालय पर फायरब्रिगेड का कार्यालय होना चाहिए। जिस शहर की 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वहां प्रत्येक 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए एक अग्निशमन केन्द्र होना चाहिए। वहीं दमकल वाहनों के लिए पानी के स्रोत प्रत्येक एक किलोमीटर पर निर्धारित होने चाहिए। केन्द्र पर भी स्थाई कम से कम एक जलस्रोत होना चाहिए। वह भी वाटर हाईट्रेट होना चाहिए। इसके अलावा अग्निमन से संबंधित सभी आवश्यक उपकरण होना बेहद जरूरीहै। अब प्रत्येक केन्द्र पर एक एम्बूलेंस होना भी जरूरी है। आग लगने की दूरभाष पर सूचना मिलते ही शहर में 3 से 5 मिनिट पर ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट तक अग्निशमन कर्मचारी व वाहन पहुंच सके यह व्यवस्था होनी चाहिए।

पत्रिका . 20
पत्रिका . ग्वालियर . बुधवार . 26.07.2017 patrika.com facebook.com/Patrika
twitter.com/patrika . पोस्टल रजि. नं. म.प्र. /ग्वालियर/583/2016-18/2016

कैग रिपोर्ट में नगर निगम में पैसे के दुरुपयोग का खुलासा : स्कूलों में उपलब्ध कराना था शुद्ध पेयजल, अफसरों ने खरीद लिए अपने लिए एसी

पत्रिका डेटा डीकोडेड

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर . ग्वालियर नगर निगम द्वारा बच्चों को सुविधाएं देने के बजाय निगम के अफसरों ने शिक्षा उपकर के जमा 7.85 लाख रुपयों को अपनी सुख सुविधाओं के लिए एसी खरीदने में खर्च कर दिए। खुलासा कैग की विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट में किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के निर्देश के अनुसार जो अक्टूबर 2012 में जारी किया गया था, नगरीय स्थानीय निकाय को शिक्षा उपकर का उपयोग नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में शुद्ध पेयजल और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के साथ ही रखरखाव पर करना था। लेखा परीक्षा समीक्षा में पाया गया निगम ने 7.85 लाख शिक्षा उपकर का उपयोग निगम की नवनिर्मित इमारत के लिए एसी, पंखा व अन्य सामान में कर दिया। आयुक्त ने जवाब में बताया अक्टूबर 2015 में मेयर-इन काउंसिल के आदेशानुसार यह खर्च किया है। कैग ने कहा कि शिक्षा उपकर का निगम के भवनों के लिए उपयोग करना नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के निर्देशों का उल्लंघन था। वहीं, अग्निशमन सेवाएं नगर पालिकाओं को सौंपी जानी थी लेकिन मालनपुर में अग्निशमन सेवाएं पुलिस अग्निशमन सेवा द्वारा ही संचालित की जा रही थी।

भवन मंजूरी शुल्क की वसूली नहीं

रिपोर्ट में कहा गया कि नगर पालिका परिषद पोरसा जिला मुरैना द्वारा भवन अनुज्ञा जारी करने से संबंधित अभिलेख संधारित नहीं होने के कारण लेखा परीक्षा में भवन अनुज्ञा की वसूली निश्चित नहीं की जा सकी। शासन द्वारा इस मामले में बताया गया कि राज्य स्तर पर भवन अनुज्ञा के लिए एक समान सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा था इसके पश्चात लीकेज रुक जाएंगे।

(491)

राज एक्सप्रेस

दिनांक 25.07.2017

भोपाल और जबलपुर में अग्निशमन केंद्रों की कमी

भोपाल ■ विधानसभा संवाददाता

प्रदेश में नगरीय निकायों की कर वसूली की स्थिति ठीक है और न ही सुविधाओं की स्थिति बेहतर है। प्रदेश के नगरीय निकायों की लचर व्यवस्था की पोल भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक ने खोलकर रख दी है।

प्रदेश की राजधानी भोपाल और जबलपुर में अग्निशमन केंद्रों की कमी है। वहीं इंदौर नगर निगम में संपत्तिकर की बकाया वसूली राशि 140 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस बात का खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। सोमवार को सदन में वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया ने स्थानीय निकाय की वर्ष 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भोपाल में 28 अग्निशमन केंद्रों के मुकाबले मात्र 10 केंद्र हैं। वहीं जबलपुर में 11 के मुकाबले मात्र दो अग्निशमन केंद्र हैं। दोनों ही स्थानों पर अग्निशमन केंद्रों की स्थापना स्थायी अग्नि सलाहकार समिति के मानदंडों के अनुसार भी नहीं है।

इंदौर ननि नहीं वसूल पाया 140 करोड़ संपत्ति कर

पंचायती राज संस्थाओं को कम मिले 247.78 करोड़

रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य शासन द्वारा चार प्रतिशत विभाजनीय निधि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की जाना चाहिए। वर्ष 2015-16 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को 247.78 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित किए गए। इसी तरह एक प्रतिशत के आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों को 18.14 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित किए गए।

दो से 10 वर्ष के बाद भी 1764 निर्माण कार्य अधूरे

रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायतों ने पंच परमेश्वर योजना के तहत परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए अलग से निधि नहीं रखी, इससे उसमें 4.55 करोड़ रुपए का कम उपयोग हुआ। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में ही कहा गया है कि दो से 10 वर्ष बीत

राज एक्सप्रेस
भोपाल दिनांक 25.07.2017

खातों में जमा नहीं कराए गए 7.66 करोड़ रुपए

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक नमूना जांच वाली नगर पालिकाओं ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान संचित निधि में 162.53 करोड़ रुपए कम जमा किए। संचित निधि में से बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के राशि का आहरण किया गया। नगर पालिकाओं द्वारा नगरीय विकास उपकर की राशि से निर्धारित राज्यांश खाते में जमा नहीं करने से राज्य शासन 18.60 करोड़ रुपए प्राप्त करने से वंचित रहा। इसके अलावा वैट, रॉयल्टी, कर्मकार उपकर और आयकर के रूप में स्रोत से काटी गई राशि 7.66 करोड़ रुपए शासन के खाते में जमा नहीं की गई।

(487)

राज एक्सप्रेस
भोपाल दिनांक 25.07.2017

निकाय पानी का भी नहीं वसूल सके पैसा

कैग की रिपोर्ट के अनुसार नगरीय निकाय संपत्ति कर वसूली में भी फेल साबित हुए हैं। जिन 14 नगर निगम और नगर पालिकाओं की नमूना जांच की गई, उनमें मार्च 2016 की स्थिति में संपत्तिकर की वसूली का 145. 38 करोड़ रुपए बकाया था। इसमें भी इंदौर नगर निगम की बकाया वसूली 140.41 करोड़ थी, जो इसका 97 प्रतिशत थी। इसी तरह इन नगर पालिकाओं में जल प्रदाय उपभोक्ता प्रभार की बकाया राशि 243.65 करोड़ रुपए और समेकित कर की बकाया राशि 142.69 करोड़ रुपए थी।

पंचायती राज संस्थाओं को कम मिले 247.78 करोड़

रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य शासन द्वारा चार प्रतिशत विभाजनीय निधि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की जाना चाहिए। वर्ष 2015-16 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को 247.78 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित किए गए। इसी तरह एक प्रतिशत के आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों को 18.14 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित किए गए।

दो से 10 वर्ष के बाद भी 1764 निर्माण कार्य अधूरे

रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायतों ने पंच परमेश्वर योजना के तहत परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए अलग से निधि नहीं रखी, इससे उसमें 4.55 करोड़ रुपए का कम उपयोग हुआ। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में ही कहा गया है कि दो से 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद 1764 निर्माण कार्य अपूर्ण रहे, जिससे इन पर किया गया 55.72 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा।

निकायों ने की कम वसूली

कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि धार जिले की बदनावर नगर पालिका द्वारा छह कॉलोनाइजरों से पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली 78.82 लाख रुपए कम की गई। उज्जैन नगर निगम कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के संबंध में देय राशि को जमा करने में विफल रहा, जिससे 65.55 लाख रुपए का जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना पड़ा। नगर निगम रीवा में कॉलोनाइजरों से 36.37 लाख रुपए का आश्रय शुल्क या तो वसूला नहीं गया या कम वसूला गया।

राज एक्सप्रेस
भोपाल दिनांक 25.07.2017

483

दैनिक भास्कर - भोपाल दिनांक 25.07.2017

कैग की रिपोर्ट में खुलासा : भोपाल में कोई भी फायर ब्रिगेड स्टेशन मानकों के हिसाब से नहीं

28 फायर ब्रिगेड स्टेशन की जरूरत और बने सिर्फ 10

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

राजधानी में कोई भी फायर ब्रिगेड स्टेशन मानकों के हिसाब से नहीं है, इन्हें फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाए जाने के लिए गठित समिति द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार नहीं बनाया गया है। भोपाल में 28 फायर ब्रिगेड स्टेशन की जरूरत है, जबकि 10 ही बने हैं। यह खुलासा विधानसभा में सोमवार को पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट में हुआ है। यही स्थिति नगर निगम जबलपुर की भी है, वहां 11 के विरुद्ध 2 फायर ब्रिगेड स्टेशन ही हैं। नगर निगम इंदौर ने तो संपत्तिकर का बकाया 140 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूला तक नहीं। कैग रिपोर्ट में 14 नगर निगम और नगर पालिकाओं की नमूना जांच की गई, उनमें मार्च 2016 की स्थिति में संपत्तिकर की वसूली का 145. 38 करोड़ रुपए बकाया था। इसमें भी इंदौर नगर निगम की बकाया वसूली 140. 41 करोड़ रुपए थी, जो इसका 97 प्रतिशत थी। इसी प्रकार इन नगर पालिकाओं में जल प्रदाय उपभोक्ता प्रभार की बकाया राशि 243. 65 करोड़ रुपए और समेकित कर की बकाया राशि 142.69 करोड़ रुपए थी।

प्रदेश के नगरीय निकायों में नगर पालिकाओं ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान संचित निधि में 162. 53 करोड़ कम जमा किए। संचित निधि में से बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के राशि भी निकाल कर खर्च कर दी। नगर पालिकाओं द्वारा नगरीय विकास उपकर की राशि से निर्धारित राज्यांश खाते में जमा नहीं करने से राज्य सरकार को 18.60 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा वैट, रॉयल्टी, कर्मकार उपकर और आयकर के रूप में स्रोत से 7.66 करोड़ की कटौती तो कर ली, लेकिन यह राशि सरकार के खाते में जमा नहीं कराई।

पंचायती राज संस्थाओं को कम दिए 247.78 करोड़

रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य शासन द्वारा चार प्रतिशत विभाजनीय निधि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की जाना चाहिए। वर्ष 2015-16 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को 247.78 करोड़ कम दिए गए। इसी तरह 1 प्रतिशत के आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों को 18.14 करोड़ कम हस्तांतरित किए गए। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों ने पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए अलग से निधि नहीं रखी, इससे उसमें 4.55 करोड़ का कम उपयोग हुआ। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में ही कहा गया है कि दो से 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद 1764 निर्माण कार्य अपूर्ण रहे, जिससे इन पर किया गया 55.72 करोड़ रुपए का व्यय निष्फल रहा।

नव भारत
राष्ट्र हित का प्रहरी
१९३८ से
ग्वालियर
शुक्रवार, 29 जुलाई, 2016
वर्ष 21, अंक 167
पृष्ठ 12
मूल्य रु. 2.50
www.navabharat.net

निकायों में राशि होने के बाद भी नहीं हो सके कार्य

केग की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत

अनिल शर्मा

ग्वालियर, 28 जुलाई. देश के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (केग) द्वारा विधानसभा में रखी गयी रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को लेकर स्पष्ट किया गया कि पैसे की कमी नहीं रही मगर इसका पूरी तरह उपयोग न होने से कार्य पूर्ण नहीं हुये.

कई स्थानीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं की कमी साफ दिखाई दी. 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक की रिपोर्ट को जारी करते हुए महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) म.प्र. सौरभ मलिक ने बताया कि एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम में 56 में से केवल 15 परियोजनाएं ही पूरी हो पायीं और 6 परियोजनाएं भूमि अभाव में प्रारंभ नहीं हो सकी. इन परियोजनाओं **(शेष पेज 5 पर)**

मल-जल निकासी तंत्र कमजोर

केग द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों पर 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि स्थानीय निकायों में शौचालयों का कवरेज मानदंड शत-प्रतिशत अनुरूप नहीं था. दो नगरीय निकायों जुन्नारदेव, करेली में मल-जल निकासी तंत्र था ही नहीं जबकि भोपाल में यह 38 प्रतिशत और देवास में 10 प्रतिशत था. इसी तरह 4 नगरीय निकायों के नमूना जांच में पाया गया कि जल कनेक्शनों का औसत 50 प्रतिशत तक था और स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक पद्धति से निपटान नहीं किया जा रहा था और न ही भूमि भरण स्थल विकसित हो सके.

पानी के मीटर में हुआ घाटा

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्वालियर नगर निगम में गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिये पानी मीटरों पर 24.46 लाख खर्च किये गये जो निरर्थक रहे क्योंकि नगर निगम ने वसूली मीटरों में दर्ज खपत के आधार पर करने के बजाये निर्धारित प्रभार के आधार पर की. इसी तरह जिला पंचायत छिंदवाड़ा और 12 जनपद पंचायतों में बैंक समाधान नहीं किया गया जिससे नगद प्रबंधन काफी कमजोर रहा. यहां तक कि 10 जनपद पंचायतों में 35 लाख अग्रिम पिछले एक वर्ष से 32 वर्ष की अवधि तक की वसूली के लिये लंबित थे.

04 नईदुनिया
ग्वालियर, शुक्रवार 29 जुलाई 2016

निगम की फिजूलखर्ची : विधानसभा में रखी गई कैग की ऑडिट रिपोर्ट

24.46 लाख कर्ज लेकर पानी के मीटर खरीदे, उपयोग किया नहीं

ग्वालियर। नईदुनिया न्यूज

ग्वालियर नगर निगम की फिजूलखर्ची को लेकर कैग की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई। कैग ने रिपोर्ट में आपत्ति लगाते हुए बताया है कि ग्वालियर नगर निगम ने दिसंबर 2010 में गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एडीबी से लोन लेकर 24 लाख 46 हजार रुपए के पानी के मीटर लगाए थे। उद्देश्य था कि गैर घरेलू एवं औद्योगिक वाटर कनेक्शनों में मीटर लगाकर पानी की असली खपत के आधार पर बिल जारी कर राजस्व वसूला जाए। जिससे जितना पानी इस्तेमाल हुआ है, उसकी पूरी राशि निगम को मिल सके। लेकिन नगर निगम ने कर्जा लेकर मीटर तो लगाए परंतु उनका इस्तेमाल नहीं किया। मीटर लगाने के बाद भी गैर घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रारूप लगाकर बिल जारी करते रहे। कैग के अनुसार ऐसे में निगम ने मीटर लगाए ही क्यों थे। निगम के इस कृत्य को कैग ने पूरी तरह से फिजूलखर्ची बताया है।

2006 से शुरू हुई कवायद और 2010 में लगे मीटर

- कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1088 पानी के मीटर लगाने की योजना नवंबर 2006 में प्रकाश में आई। टेंडर लेने वाली फर्म और निगम के बीच 42 लाख 64 हजार रूपए का अनुबंध हुआ। बाद में निगम ने मीटर बॉक्स की कीमत में कमी के कारण परियोजना की लागत घटाकर 35 लाख 47 हजार रूपए कर दी। इसके बाद तय हुआ कि मीटर वर्ष 2009 तक लगा देने है। लेकिन मीटर लगे दिसंबर 2010 में। कुल 1088 मीटरों में से ठेका लेने वाली फर्म ने 943 पानी के मीटर गैर घरेलू उपभोक्ताओं की दुकानों, फैक्ट्रियों पर लगाए। ठेकेदार फर्म ने ना तो मीटरों की टेस्टिंग की और ना ही उन्हें उपयोग में लाना शुरू किया। सिर्फ लगा भर दिए। मीटर गैर घरेलू उपभोक्ताओं की पानी पाइपलाइनों पर खाली डिब्बो की तरह लगा दिए गए। उनकी कभी भी रीडिंग नहीं ली गई। मीटर लगने के बाद भी बिल निर्धारित प्रभार के आधार पर जारी होते रहे। इसके बावजूद नगर निगम ने ठेकेदार फर्म को मीटर लगाने का 24 लाख 46 हजार रूपए का भुगतान कर दिया।

और कैग ने कहा सामान्य बुद्धि से भी काम नहीं किया

कैग ने अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी करते हुए कहा है कि नगर निगम ने औचित्य के बिना व्यय किया है। एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में सतर्कता बरतता है। लेकिन निगम ने निरर्थक ही 24 लाख 46 हजार रूपए जो एडीबी से लोन लिए थे, फिजूल ही खर्च कर दिए। इस मामले में पक्ष लेने नईदुनिया ने महापौर विवेक नारायण शेजवलकर, नगर निगम कमिश्नर अनय द्विवेदी, कार्यपालन यंत्री आरएलएस मौर्य से संपर्क किया तो किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया।

पीपुल्स समाचार
ग्वालियर, शुक्रवार 29 जुलाई 2016 04

वित्त विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं को 435 करोड़ कम हस्तांतरित किए

केग नें कहा- जल प्रभार का आरोपण वास्तविक खपत के आधार पर नहीं

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9827318080

मध्यप्रदेश में वित्त विभाग ने पंचायत राज संस्थाओं को वर्ष 2014-15 के दौरान 435.67 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित किए। इसी प्रकार भारत सरकार ने 2010-15 के दौरान राज्य को नगरीय स्थानीय निकायों हेतु अनुदान 438.48 करोड़ रुपए कम जारी किया। गत दिवस सदन की पटल पर पेश भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लगाए गए पानी के मीटरों पर 24.46 लाख अनावश्यक व्यय और सनावद नपा में 240 दुकानों की नीलामी में मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क के कम आरोपण के कारण 35 लाख की राजस्व हानि हुई। केग ने कहा कि जल प्रभार का आरोपण पानी के मीटरों में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर नहीं था।

विस के पटल पर वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा रखे गए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के मध्यप्रदेश के स्थानीय निकाय के प्रतिवेदन में सामने आई है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसित किया कि राज्य शासन द्वारा चार प्रतिशत विभाजन निधि पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2014-15 में राज्य शासन की विभाजनीय निधि 25 हजार 678.61 करोड़ रुपए थी। इसमें हस्तांतरण योग्य निधि 1027.14 करोड़ रुपए में से वास्तविक हस्तांतरण निधि 591.47 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार 435.67 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित किए गए। प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत सरकार ने 2010-15 के दौरान राज्य को पंचायत राज संस्थाओं हेतु 13वें वित्त आयोग अनुदान की पात्रता 4305.83 करोड़ रुपए के विरुद्ध 3953.88 करोड़ रुपए जारी किए। इस प्रकार राज्य सरकार को अनुदान 351.95 करोड़ रुपए कम जारी किया गया। इसी तरह 13वें वित्त आयोग के अनुदान विलंब से जारी करने के कारण पंचायत राज संस्थाओं को भुगतान योग्य ब्याज राशि 15.04 करोड़ रुपए कम जारी की गई। प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार ने 2010-15 के दौरान राज्य को नगरीय स्थानीय निकायों हेतु 13वें वित्त आयोग अनुदान के राज्य की पात्रता के 1527.51 करोड़ रुपए के विरुद्ध 1089.03 करोड़ रुपए जारी किए।

राज एक्सप्रेस

शुक्रवार, 29 जुलाई 2016
www.rajexpress.in
9 ग्वालियर

मीटर तो लगाए पर रीडिंग के आधार पर नहीं दिए बिल

ग्वालियर (आरएनएन)। नगरनिगम ने व्यवसायिक उपभोक्ताओं से पानी की खपत के आधार पर बिल की वसूली करने 1088 मीटर लगाने को ठेका दिया था। इनमें से 943 मीटर लगाए भी गए। लेकिन संबंधित उपभोक्ताओं से बिल की वसूली मीटर में दर्शायी गई खपत के आधार पर न कर पूर्व से तय राशि के आधार पर की। इससे मीटर लगवाने पर खर्च की गई राशि 24.46 लाख रुपए व्यर्थ चले गए।

महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

यह खुलासा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुआ है, जो 27 जुलाई को विधानसभा के पटल पर रखी गई। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ग्वालियर नगरनिगम ने गैर घरेलू उपभोक्ताओं के यहां पानी के 1088 मीटर लगाने नवंबर 2006 में निविदा आमंत्रित की थी। मार्च 2007 में इसके लिए 42.64 लाख रुपए का अनुबंध हुआ। यह काम एक वर्ष में पूरा होना था। नगर निगम ने मीटर बॉक्सों की कीमत कम होने के कारण जुलाई 2009 में अनुबंध पुनरीक्षित कर इसे 35.47 लाख रुपए कर दिया। साथ ही काम पूरा करने की तिथि भी बढ़ाकर जुलाई 10 कर दी।

महालेखा परीक्षक अप्रैल 2014 मे ने नगर निगम के अभिलेखों की जांच में पाया कि ठेकेदार फर्म ने दिसंबर 2010 तक गैर घरेलू उपभोक्ताओं के यहां 943 मीटर लगाए थे, शेष 145 मीटर नहीं लगाए गए। साथ ही ठेकेदार फर्म ने जो 943 मीटर लगाए थे, उनका परीक्षण और उपयोग में लाए जाने का काम नहीं किया। फिर भी नगर निगम ने ठेकेदार को दिसंबर 2012 में 24.46 लाख रुपए का अंतिम भुगतान कर दिया।

बिना रीडिंग के वसूली

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि नगर निगम ने अप्रैल 2011 में पानी की वास्तविक खपत के आधार पर बिल वसूली करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बावजूद लगाए गए मीटरों के उपभोक्ताओं से मीटर में दर्ज रीडिंग के आधार पर बिल लेने की बजाए निर्धारित दर से वसूली की गई। इससे मीटर लगाने पर खर्च किए गए 24.46 लाख रुपए व्यर्थ चले गए। इस मामले में सरकार ने बताया कि लगाए गए मीटरों को क्रियाशील रखने और बिलों को वास्तविक खपत के आधार पर तैयार करने के संबंध में क्षेत्रीय इंजीनियरों को आदेश दिए जा चुके थे।

आचरण
www.epaperacharan.com
ग्वालियर, शुक्रवार 29 जुलाई 2016 02

गैर घरेलू नल कनेक्शन के कार्य का बगैर परीक्षण किए कर दिया 24.46 लाख का भुगतान

नगर निगम की कार्य शैली पर महालेखाकार ने उठाए सवाल

ग्वालियर। भारत के नियंत्रक एंव महालेखाकार परीक्षक ने गैर घरेलू एंव औद्योगिक वाटर कनेक्शनों के नाम पर ठेकेदार को 24.46 लाख रू. के भुगतान को निरर्थक व्यय बताया है। महालेखाकार की रिपोर्ट से साफ है कि पानी के मीटरों की अधिप्राप्ति और संस्थापना पर व्यय किए गए 24.46 लाख रू. निरर्थक रहे, क्योंकि जल प्रभार का आरोपण पानी के मीटरों में दर्ज की गई वास्तविक खपत के आधार पर नही था। इससे साफ होता है कि बगैर बेहतर रजिल्ट आए ही भुगतान कर दिया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नगर निगम ग्वालियर ने जल की वास्तविकता खपत के आधार पर गैर घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक देयक तैयार करने के उद्देश्य से 1,088 पानी के मीटरों की आपूर्ति संस्थापना, परीक्षण और काम में लाने के लिए निविदा नवम्बर 2006 में आमंत्रित की थी, जिसके तहत सफ़ल बोलीदाता फर्म और ग्वालियर नगर निगम के मध्यम 42.64 लाख रू. का अनुबंध मार्च 2007 में किया गया। इसके तहत एक साल में कार्य पूर्ण कराया जाना था। इसी दौरान निगम ने मीटर बॉक्स की कीमत में कमी के कारण परियोजना की लागत 35.47 लाख रूपये जुलाई 2009 से पुनरीक्षित की तथा कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि भी जुलाई 2010 कर दी। लेकिन मीटर वर्ष 2009 तक लगाए जाने थे। खर्चा का वहन एशियन विकास बैंक से किया जाना था। निगम के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अप्रैल 2014 तक फर्म द्वारा दिसम्बर 2010 तक गैर घरेलू उपभोक्ताओं को पानी पाइपलाइन पर 943 पानी के मीटर लगाए गए, शेष 145 मीटर नहीं लगाए। जबकि फर्म द्वारा लगाए गए 943 पानी के मीटरों का परीक्षण और उपयोग में लाए जाने के कार्य का परीक्षण नहीं किया गया और ठेकेदार को 24.46 लाख रू. भुगतान कर दिया गया। यह भुगतान निरर्थक रहा।

सिटी फ्रंट पेज
दैनिक भास्कर, ग्वालियर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2016

निगम ने पानी के मीटर लगाए, उपयोग नहीं किए

ग्वालियर|निगम द्वारा शहर के व्यवसायिक उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के आधार पर बिल वसूलने की योजना में 24.46 लाख रुपए का घोटाला महालेखाकार की रिपोर्ट में आया है। इस योजना के तहत 1088 मीटर लगाए जाने थे, जबकि 943 मीटर लगाए गए। जिन मीटरों को लगाया गया, उनका निरीक्षण तक निगम के अमले ने नहीं किया, उस आधार पर बिल वसूली तो दूर की बात है। निगम में पानी के मीटर लगाने का ठेका देने और लगाए जाने की प्रक्रिया 2006 से शुरू होकर 2014 तक चली। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि निगम ने वास्तविक खपत के आधार पर पानी का बिल वसूल किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद भी निगम व्यवसायिक उपभोक्ताओं से बिल की वसूली पूर्व निर्धारित प्रभार के अनुसार ही करता रहा। रिपोर्ट के अनुसार, शासन ने रिपोर्ट दी कि मीटरों को क्रियाशील रखने के लिए वास्तविक जल खपत के आधार पर बिल तैयार करने के निर्देश इंजीनियरों को दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मीटरों पर व्यय किए गए 24.46 लाख रुपए निरर्थक रहे, क्योंकि बिल वास्तविक खपत के आधार पर जारी नहीं किए गए।

THE TIMES OF INDIA, DELHI/BHOPAL/GWALIOR/JABALPUR
SATURDAY, JULY 30, 2016

CAG punches holes in funds use of Gwalior & Bhopal civic bodies

TIMES NEWS NETWORK

Bhopal: In the first-ever audit of Madhya Pradesh's civic bodies, Comptroller & Auditor General (CAG) pointed out irregularities in financial transactions by municipal corporations of Bhopal and Gwalior.

Four years on, at least 1,000 water meters were installed at a cost of Rs 24 lakh, but the instruments have remained idle. And Gwalior Municipal Corporation continues to raise bills for water consumption on fixed-charge basis instead of charging on consumption recorded in installed water meters.The audit watchdog also pointed out irregularities and under-performances in Bhopal Municipal Corporation. As per the report, only 38% of Bhopal is covered by a sewage network.

"BMC was supplying water on alternate days in 77 of 305 service areas in 70 wards. Against a benchmark of 135 litre per capita per day (LPCD), per capita supply of water in other three test-checked urban local bodies ranged between 34 and 53 LPCD," said the auditor.CAG also stated that BMC inflated figures on water supply connections. "Only 46% of Bhopal has water connections, but BMC claimed 80% is covered in gazette notification". Even in terms of water quality, the auditor pointed out that BMC statistics of 2014-15 was unrealistic. "We noticed that water samples were not taken at consumer-end and periodic independent audit of water quality was not carried out," said the auditor.

patrika.com
पत्रिका . ग्वालियर . शनिवार . 30.07.2016

कैग रिपोर्ट में खुलासा...

मीटर लगाने में व्यर्थ किए 24.64 लाख

56 में से 15 योजनाएं ही हो सकीं पूरी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. नगर पालिका निगम ग्वालियर द्वारा गैर घरेलू उपभोक्ताओं के यहां 24.46 लाख रुपए खर्च कर लगाए गए मीटर निरर्थक रहे हैं। नगर निगम ने इन पानी के मीटरों में दर्ज खपत के आधार पर प्रभार लगाने के स्थान पर जल खपत के बिल निर्धारित प्रभार के आधार पर ही तैयार करना जारी रखा है।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा स्थानीय निकायों की गई जांच में यह तथ्य सामने आए हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार निगम ने जल की वास्तविक खपत के आधार पर गैर घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक देयक तैयार करने के लिए 1088 पानी के मीटरों की आपूर्ति, उन्हें स्थापित करने व परीक्षण और काम में लाने के लिए एक निविदा आमंत्रित की थी। नवंबर 2006 में निकाली गई इस निविदा के सफल बोलीदाता फर्म और निगम के मध्य 42.64 लाख मूल्य का एक अनुबंध निष्पादित किया गया। मार्च 2007 में हुए अनुबंध के अनुसार पानी के मीटरों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और काम में लाए जाने का ठेका अनुबंध हस्ताक्षर के दिनांक से एक साल में पूरा किया जाना था। निगम ने मीटर बॉक्स की कीमत में कमी के कारण परियोजना की लागत 35.47 लाख पुनरीक्षित की। वर्ष 2009 में इस पुनरीक्षण के बाद काम पूरा करने की तिथि जुलाई 2010 पुनरीक्षित की। मध्यप्रदेश में नगरीय जल आपूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना के तहत सभी गैर घरेलू एवं औद्योगिक वाटर कनेक्शनों में 2009 तक मीटर लगाए जाने थे। इसके व्यय का वहन एशियन विकास बैंक के ऋण से किया जाना था।

129.10 करोड़ खर्च फिर भी पूरी नहीं योजनाएं

महालेखा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम 53 शहरों में चलाया जा रहा है, जिसमें चल रही 56 परियोजनाओं में से केवल 15 परियोजनाएं मार्च 2015 तक पूरी हो सकीं। इस योजना के लिए वर्ष 2010 से 15 तक 129.10 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके बाद भी परियोजनाएं अधूरी रहीं। लागत में वृद्धि के कारण हितग्राही का अंशदान प्रति आवासीय इकाई 65 हजार से 2.78 लाख रुपए की सीमा तक बढ़ गया। इसका शहरी गरीबों के आर्थिक सामर्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

बिना परीक्षण कर दिया भुगतान

ज़ांच के दौरान पाया कि अप्रैल 2014 तक फर्म द्वारा दिसंबर 2010 तक गैर घरेलू उपभोक्ताओं के पानी पाइपलाइन पर 943 पानी के मीटर लगाए गए थे। शेष 145 मीटर नहीं लगाए गए, जबकि फर्म द्वारा लगाए गए 943 मीटरों का परीक्षण और उपयोग में लाए जाने का कार्य नहीं किया गया। निगम के अधिकारियों ने पानी के मीटरों के परीक्षण व उपयोग में लाए बिना ही ठेकेदार को 24.46 लाख का अंतिम भुगतान दिसंबर 2012 में कर दिया। जांच में पाया गया कि निगम ने जनवरी 11 में जल की वास्तविक खपत के आधार पर जल प्रभार की वसूली का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद भी निर्धारित प्रभार के आधार पर ही बिल जारी किए गए। इस प्रकार मीटर लगाए जाने पर किया गया 24.46 लाख का खर्च निरर्थक रहा।

Printed from
THE TIMES OF INDIA

CAG smells fund graft by Bhopal civic body

TNN | Jul 30, 2016, 09.26 AM IST

Bhopal: In the first-ever audit of Madhya Pradesh's civic bodies, Comptroller & Auditor General (CAG) pointed out irregularities in financial transactions by municipal corporations of Bhopal and Gwalior. Four years on, at least 1,000 water meters were installed at a cost of Rs 24 lakh, but the instruments have remained idle. And Gwalior Municipal Corporation continues to raise bills for water consumption on fixed-charge basis instead of charging on consumption recorded in installed water meters.

The audit watchdog also pointed out irregularities and under-performances in Bhopal Municipal Corporation. As per the report, only 38% of Bhopal is covered by a sewage network. "BMC was supplying water on alternate days in 77 of 305 service areas in 70 wards. Against a benchmark of 135 litre per capita per day (LPCD), per capita supply of water in other three test-checked urban local bodies ranged between 34 and 53 LPCD," said the auditor.

CAG also stated that BMC inflated figures on water supply connections. "Only 46% of Bhopal has water connections, but BMC claimed 80% is covered in gazette notification". Even in terms of water quality, the auditor pointed out that BMC statistics of 2014-15 was unrealistic.

"We noticed that water samples were not taken at consumer-end and periodic independent audit of water quality was not carried out," said the auditor.

विभाग ने विधानसभा से स्वीकृत बजट से लगभग 36 करोड़ रुपए अधिक व्यय किए। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने विधानसभा में इस संबंध में जानकारी पेश की। इसके मुताबिक वर्ष 2006-07 के दौरान लोक निर्माण विभाग से जुड़े मद में 35 करोड 99 लाख 34 हजार रुपए राशि अधिक व्यय की गई।

मलैया ने बताया कि इस अवधि में लोक निर्माण विभाग को 685 करोड़ 72 लाख रुपए से अधिक राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन कुल 721 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय की गई। इसी तरह वर्ष 2009-10 में 123 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि व्यय की गई। वर्ष के दौरान पुलिस, स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को कुल 431 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय करने की स्वीकृति सदन से दी गई थी, लेकिन इन विभागों के माध्यम से 443 करोड़ 98 लाख रुपए से अधिक की धनराशि व्यय की गई।

शहडोल में विश्वविद्यालय खोलने के लिए विधेयक

इधर, शहडोल में पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से विधानसभा में संबंधित विधेयक पेश किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पेश किया। इस विधेयक के जरिए शहडोल में वर्तमान में संचालित पंडित एसएन शुक्ला शासकीय स्वशासी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना है।

बहुजन समाज पार्टी विधायक सत्यप्रकाश सखवार ने अम्बाह के एसडीएम ऑफिस के एक स्टेनो द्वारा उन्हें अपमानित किए जाने का मामला उठाया। सखवार ने उसे निलंबित किए जाने की मांग की, लेकिन गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह मामला राजस्व विभाग का बताते हुए आश्वस्त किया कि वे उस बाबू को निलंबित किए जाने के लिए कलेक्टर से कहेंगे।

गृह मंत्री सिंह ने कलेक्टर के जरिए कार्रवाई का दिया आश्वासन

बीएसपी सदस्य सखवार ने सदन में ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मामला उठाया था। गृहमंत्री सिंह ने कहा कि स्टेनो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, फिलहाल वह फरार है। उसका स्थानांतरण किया गया, लेकिन उसने दूसरी जगह ज्वाइनिंग नहीं दी है। उन्होंने कहा कि उसके पास हाईकोर्ट का स्टे है। कार्रवाई भी उनके विभाग को नहीं, बल्कि कलेक्टर को करनी है। आसंदी से विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक नहीं लगाई है। उसे निलंबित किया जाना चाहिए। इसके बाद गृहमंत्री ने आश्वासन दिया कि कलेक्टर को कहेंगे कि उसे निलंबित करें। सखवार का कहना था कि स्टेनो मुतीउररहमान ने गाली देकर उनका अपमान किया है। स्टेनो ने उन्हें धमकी दी कि तुम्हारी विधायकी खा जाऊंगा। उन्होंने उसे सदन में ही निलंबित करने का अनुरोध किया। इस दौरान कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भी सखवार का समर्थन किया।

Raj Express | 20. July 2016

बसपा विधायक बुधवार को विधानसभा परिसर में नीला एप्रिन पहनकर पहुंचे। बसपा सदस्यों को सदन में जाने से रोकते मार्शल संचालक जेके शर्मा और उनकी टीम

बसपा ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर की नारेबाजी

भोपाल (विसं)। विधानसभा में बुधवार को बहुजन समाज पार्टी सदस्यों ने प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। प्रश्नकाल के दौरान बसपा के चारों सदस्य प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर सदन में नारेबाजी करते हुए आए, लेकिन अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

चारों विधायक आसंदी के पास तक आ गए, लेकिन अध्यक्ष ने उन्हें प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का आदेश दिया, जिसके बाद चारों वापस चले गए। बसपा सदस्यों की नारेबाजी के दौरान सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य ने बसपा और कांग्रेस पर डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। इसी समय श्री आर्य और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के बीच नोक-झोंक भी हुई। अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने सभी विधायकों को शांत रहने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रश्नकाल चल सका। सदन के बाहर संवाददाताओं से चर्चा में बसपा विधायक दल के नेता एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए सदन में विधेयक पारित किया जाए और बैकलॉग की पूर्ति की जाए। चारों विधायक विधानसभा परिसर में नीला एप्रिन पहन कर आए थे, जिस पर पदोन्नति में आरक्षण की मांग की गई थी।

नीला एप्रिन पहनकर पहुंचे चारों सदस्य

पंचायत राज संस्थाओं को 435 करोड़ कम दिए

भोपाल (विसं)। राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सदन के पटल पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) एवं स्थानीय निकाय का प्रतिवेदन रखा। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि राज्य के वित्त विभाग ने पंचायत राज संस्थाओं की वर्ष 2014-15 के दौरान 435.67 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित किए।

कैग रिपोर्ट में खुलासा, वित्त मंत्री मलैया ने पटल पर रखा प्रतिवेदन

रिपोर्ट के अनुसार इसी प्रकार केंद्र ने 2010-15 के दौरान राज्य को नगरीय स्थानीय निकायों के अनुदान 438.48 करोड़ रुपए कम जारी किया। प्रतिवेदन में कहा गया है कि तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसित किया कि राज्य शासन द्वारा चार प्रतिशत विभाजनीय निधि पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2014-15 में राज्य शासन की विभाजनीय निधि 25 हजार 678.61 करोड़ रुपए थी। इसमें हस्तांतरण योग्य निधि 1027.14 करोड़ रुपए में से वास्तविक हस्तांतरण निधि 591.47 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार 435.67 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित किए गए।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि केंद्र ने 2010-15 के दौरान राज्य को पंचायत राज संस्थाओं के लिए 13वें वित्त आयोग अनुदान की पात्रता 4305.83 करोड़ रुपए के विरुद्ध 3953.88 करोड़ रुपए जारी किए।

इसी प्रकार राज्य सरकार को अनुदान 351.95 करोड़ रुपए कम जारी किया गया। इसी तरह 13वें वित्त आयोग के अनुदान विलंब से जारी करने के कारण पंचायत राज संस्थाओं को भुगतान योग्य ब्याज राशि 15.04 करोड़ रुपए कम जारी की गई।

शासन को दुकान नीलामी में आर्थिक चपत

प्रतिवेदन में बताया गया है कि सनावद नगर परिषद में 240 दुकानें नीलाम और आवंटित की गई थी। इसमें परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क के कम आरोपण के कारण शासन को 34.04 लाख रुपए के राजस्व से वंचित रहना पड़ा। इसी तरह जिला आगर की कानड़ नगर परिषद द्वारा कार्य का पुनः आवंटन करने से 7.68 लाख रुपए अतिरिक्त व्यय किया गया, जो जोखिम एवं लागत उपनियम के अधीन पूर्व ठेकेदार से वसूल नहीं किया गया। प्रतिवेदन में ग्वालियर नगर पालिक निगम द्वारा पानी के मीटरों के संस्थापन पर निरर्थक व्यय पर भी टिप्पणी की गई है। इसमें कहा गया है कि गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लगाए गए पानी के मीटरों पर 24.46 लाख रुपए व्यय किया गया। यह व्यय निरर्थक रहा क्योंकि जल प्रभार का आरोपण पानी के मीटरों में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर नहीं था।

कांग्रेसियों पर बल प्रयोग मामले की जांच जारी

भोपाल (विसं)। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि सागर संभागीय मुख्यालय पर जल संकट को लेकर जिला कांग्रेस की ओर से 13 जून को आयोजित प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल प्रयोग से जुड़ी घटना की मजिस्ट्रीयल जांच जारी है और उसके निर्णय के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने कांग्रेस के हर्ष सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि 13 जून को कांग्रेस ने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। इस मामले की जांच के निर्णय के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

निर्माण मद में खर्च राशि पर उठे थे सवाल

कैग रिपोर्ट दरकिनार, 350 करोड़ के हिसाब पर चुप्पी

पत्रिका

फॉलोअप

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

भोपाल. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 350 करोड़ रुपए को कोई हिसाब नहीं मिल रहा। कैग ने वर्ष-2014 की रिपोर्ट में इसे गंभीर बताया है, लेकिन अफसरशाही ने दरकिनार कर दिया। कैग ने नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में करोड़ों की गड़बड़ी उजागर की है। पंचायतों के जो मामले बताए हैं, उन पर पूर्व की रिपोर्ट में भी आपत्ति आई थी। सरकार ने जिलास्तर पर नोटिस जारी कर कैग को जवाब दिया कि कारंवाई की जा रही है। बाद में ग्रामीण विकास विभाग ने नोटिस के जवाब की स्क्रूटनी या परीक्षण नहीं किया। इसके अलावा 350 करोड़ की राशि 2008-09 के बीच की रही, जो ग्राम पंचायतों को निर्माण मद के तहत दी गई थी। यह राशि बाद में न तो उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में दर्ज की गई और न इसका हिसाब दिया गया। निर्माण बजट की इस राशि को कैग ने गलत ठहराया था।

> कैग की आपत्तियों का निराकरण किया जाता है। यह काफी पुराना मामला है। इसे दिखवाते हैं।
>
> **गोपाल भार्गव**, मंत्री ग्रामीण विकास

पत्रिका Fri, 29 June 2018
epaper.patrika.com/c/29934253

Scanned with CamScanner

THE TIMES OF INDIA, DELHI/BHOPAL/GWALIOR/JABALPUR
WEDNESDAY, JUNE 27, 2018

48 urban bodies tripped on tax collection: CAG report

TIMES NEWS NETWORK

Bhopal: Over 40 urban bodies in Madhya Pradesh have failed to collect a whopping sum of Rs 689.67 crore as tax in the years 2013 and 2014.

This according to a report by the Comptroller and Auditor General (CAG) which was tabled in the Vidhan Sabha on Monday.

The report revealed that at least 48 urban bodies failed to collect the huge amount of tax leading to losses. Of them, 45 urban bodies failed to collect Rs 685.25 crore revenue taxes that include several taxes such as property and entertainment taxes among others.

Similarly, the CAG report said 38 urban bodies failed to collect water taxes amounting to Rs 155.63 crore in the period of 2013 and 2014.

Highlighting further issues with tax collection, the report said, that between July 1994 and March 2013, the municipal corporations of Bhopal and Ratlam failed to recover interest on the advances given to their employees. It added that the commissioners of Bhopal and Ratlam municipal corporations had informed in April and August 2014 respectively that they would recover the interest.

On the other hand, by collecting Rs 1.29 crore in taxes, the municipality of Katni surpassed the target that it had set, the report said.

The CAG report highlighted the loopholes in implementation of several tap-water and solid waste management schemers among others.

WHAT THE REPORT STATES

- Highlights loopholes in implementation of several schemes
- 38 urban bodies failed to collect water tax amounting to ₹155 cr
- Between 1994 & 2013, Bhopal, Ratlam civic bodies **failed to recover interests on advances given to employees**
- Katni collected **₹1.29 cr taxes**, more than the target set by the civic body

The CAG report highlighted the loopholes in implementation of several tap-water and solid waste management schemers

THE TIMES OF INDIA, DELHI/BHOPAL/GWALIOR/JABALPUR
WEDNESDAY, JUNE 27, 2018

48 urban bodies tripped on tax collection: CAG report

TIMES NEWS NETWORK

WHAT THE REPORT STATES

- Highlights loopholes in implementation of several schemes

38 urban bodies failed to collect water tax amounting to ₹155 cr

- Between 1994 & 2013, Bhopal, Ratlam civic bodies **failed to recover interests on advances given to employees**
- Katni collected ₹**1.29 cr taxes,** more than the target set by the civic body

Bhopal: Over 40 urban bodies in Madhya Pradesh have failed to collect a whopping sum of Rs 689.67 crore as tax in the years 2013 and 2014.

This according to a report by the Comptroller and Auditor General (CAG) which was tabled in the Vidhan Sabha on Monday.

The report revealed that at least 48 urban bodies failed to collect the huge amount of tax leading to losses. Of them, 45 urban bodies failed to collect Rs 685.25 crore revenue taxes that include several taxes such as property and entertainment taxes among others.

Similarly, the CAG report said 38 urban bodies failed to collect water taxes amounting to Rs 155.63 crore in the period of 2013 and 2014.

Highlighting further issues with tax collection, the report said, that between July 1994 and March 2013, the municipal corporations of Bhopal and Ratlam failed to recover interest on the advances given to their employees. It added that the commissioners of Bhopal and Ratlam municipal corporations had informed in April and August 2014 respectively that they would recover the interest.

The CAG report highlighted the loopholes in implementation of several tap-water and solid waste management schemers

On the other hand, by collecting Rs 1.29 crore in taxes, the municipality of Katni surpassed the target that it had set, the report said.

The CAG report highlighted the loopholes in implementation of several tap-water and solid waste management schemers among others.

Scanned with CamScanner

कैग रिपोर्ट : योजना बनाते समय देखी जानी चाहिए जमीन की स्थिति

निगम ने वन भूमि पर निर्माण कर 25.55 लाख रुपए कर दिए बर्बाद

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. नगर निगम ग्वालियर ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत एकीकृत भवन एवं मलिन बस्ती विकास योजना वर्ष 2005 के अंतर्गत वन विभाग की जमीन पर भवन निर्माण कराकर 25.55 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, क्योंकि वन विभाग की रोक के कारण कार्य बीच में ही छोड़ना पड़ा था। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि योजना बनाते समय भूमि की स्थिति देखी जानी चाहिए थी।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा विधानसभा में रखी गई रिपोर्ट में कहा गया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित मलिन बस्ती निवासियों को शहरी क्षेत्र में आवास एवं आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना था। योजना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करते समय वांछित जमीन की स्थिति स्पष्ट एवं दोषमुक्त होना चाहिए थी। जांच में पाया कि जनवरी 2013 में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 448 आवासीय इकाई के निर्माण के लिए आइएचएसडीपी योजना के तहत 8.16 करोड़ रुपए स्वीकृत कर जारी किए थे। इसके लिए कलेक्टर ग्वालियर द्वारा निगम को फरवरी 2008 में 0.805 हैक्टेयर जमीन समाधिया कॉलोनी में उपलब्ध कराई गई। निगम ने नवंबर 2009 में मैसर्स प्रेगमेटिक इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ आवास निर्माण के लिए अनुबंध किया, जबकि आवंटित भूमि विवादित पाई गई। इस जमीन पर किसी व्यक्ति द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया। नगर निगम के निवेदन पर जिला कलेक्टर ने इस जमीन के बदले गुढ़ी में प्लॉट क्रमांक 644, 731 और 526 उपलब्ध कराई।

नींव, आधार स्तभ बनने के बाद काम रुकवाया

निगम ने योजना का प्राथमिक कार्य जैसे कि खुदाई, नींव, आधार स्तंभ आदि प्लॉट क्रमांक 526 पर कराया। वन विभाग ने जुलाई 2011 में इस कार्य को इस आधार पर रुकवा दिया कि उक्त जमीन आरक्षित वन क्षेत्र के आधिपत्य में थी। निगम ने 2011 में कलेक्टर को स्थिति से अवगत कराया।

कलेक्टर ने आवंटित की जमीन : निगमायुक्त

निगम आयुक्त ने कैग की आपति पर जवाब में कहा कि कलेक्टर द्वारा आवंटित जमीन पर निर्माण कराया है। इस बात की जानकारी निगम को नहीं थी कि यह जमीन वन विभाग की है। यदि कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग आपति करता तो उक्त बर्बादी से बचा जा सकता था।